आदेश का कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ... गई ... बारे में तारीख व.

26/08/21

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 08/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

भूदाता जानकी पंडित, पिता–नगा पंडित, ग्राम–थाना–करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
29	600	10 धूर	उतर–कारू बाबु दक्षिण–नहर पूरब–नीज पश्चिम–गावड़ा

मौजा– गुलाब इंगलिश, थाना नं०–41, थाना+अंचल–करपी, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। भूदाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 द्वारा अंचल अधिकारी करपी के माध्यम नोटिस तामिला भेजा गया। नोजिस प्रतिवेदन पर यह अंकित करते हुए नोटिस वापस किया गया कि यह अरवल अंचल अन्तर्गत नहीं है। भूदान दान पत्र में थाना नं0 41 का अवलोकन किया गया, थाना नं0 41 करपी अंचल से संबंधित है। अंचल अधिकारी करपी से भूदाता का नोटिस तामिला कराया गया एवं वर्णित भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी करपी द्वारा नोटिस तामिला दाखिल किया गया एवं पत्रांक 447 दिनांक 07.08.2021 द्वारा जॉच प्रतिवेदन दाखिल दिया गया। भूदाता की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी के द्वारा आपति दाखिल की गई।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी का जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान दान पत्र के माध्यम से दिनांक 12.04.1954 में वर्णित भूमि दान दिया गया है। अंचल अधिकारी करपी जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि जानकी पंडित, पिता–नगा पंडित के नाम पर खतीयान दर्ज है। रामाशिष प्रसाद, पिता–प्रभु पंडित के नाम पर जमावंदी संख्या 30/01 पर दर्ज है। जमावंदीधारक भूदाता का पोता है।बालेश्वर पंडित एवं अन्य पिता–रामाशिष प्रसाद वर्तमान में दखल कावीज है,जो भूदाता का पोता है। भूमि वर्तमान में धनहर है। भूमि रैयति खाते की है।प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है।

भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) विहार पटना का पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता,खेसरा, मौजा एवं रकवा अंकित है वैसे संबंधित मामलों की संपुष्ट की जायेगी।

चॅकि विषयग तमामले में किसी के द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं की गयी है इसलिए अंचल अधिकारी, करपी के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

26/08/21

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

26/08/21

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।